संख्या-02/2026 /07/क0नि0प्र0/26-3-2026-1666623

प्रेषक

नीता चौधरी,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

समाज कल्याण विभाग लखनऊ: दिनांक: 14 जनवरी,2026

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ

विषय: भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पी0एम0-अजय) के घटक ग्राण्ट-इन-एड के अन्तर्गत मदर सैंक्शन के रूप में प्राप्त धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-05/2025/480/क0नि0प्र0/26-3-2025-1666623 दिनांक 03 दिसम्बर,2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-जीआईए-11014/1/2023-पीएम-अजय दिनांक 01-10-2025 द्वारा प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पी0एम0-अजय) के घटक ग्राण्ट-इन-एड के अन्तर्गत मदर सैंक्शन के रूप में प्राप्त रू0 82,08,59,500.00 (रू0 बयासी करोड़ आठ लाख उनसठ हजार पांच सौ मात्र) में से रू0 34,61,10,250.00 (रू0 चौंतीस करोड़ इकसठ लाख दस हजार दो सौ पचास मात्र) की धनराशि आपको उपलब्ध करायी गयी थी। भारत सरकार से प्राप्त उक्त धनराशि के सापेक्ष अनुपूरक अनुदान के माध्यम से स्वीकृत धनराशि में से अवशेष धनराशि रू0 47,47,49,250.00 (रू0 सैंतालिस करोड़ सैंतालिस लाख उनचास हजार दो सौ पचास मात्र) को निम्नलिखित नियमों व शर्तो के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते:

(1) प्रश्नगत धनराशि के निर्गत किये जाने के संदर्भ में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025, संख्या-11/2025/बी-1-1061/दस-2025 दिनांक 26 सितम्बर, 2025 एवं वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1/2026/बी-2-01/दस-2026-244/2025 दिनांक 05 जनवरी,2026 में निर्धारित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।

(3) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 का होगा।

(4) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य मद हेतु किया जायेगा।

(5) अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। प्रश्नगत स्वीकृत केन्द्रांश की धनराशि का समायोजन भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि से किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों/गाइडलाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक/शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था/ स्वीकृत प्रोजेक्ट के सापेक्ष शासन की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत योजना पर राज्य सरकार एवं भारत सरकार के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है, यह सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त धनराशि आहरित की जायेगी।

(9) प्रश्नगत परियोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी संबंधित परियोजना अधिकारी की होगी।

(10) परियोजनाओं में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियंत्रित करने के संबंध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून,2017 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी किया जायेगा।

(12) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

2- उपरोक्तानुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-083 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्ष-2225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0127-पी0एम0 अजय योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से ग्रान्ट इन एड का संचालन (के0-100/रा0-0-के0)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-E-4-166-X-2025-26 दिनांक 12-01-2026 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

नीता चौधरी
संयुक्त सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

2- महालेखाकार, लेखा- परीक्षा (प्रथम/ द्वितीय) उ0प्र0 लखनऊ/ प्रयागराज।

3- संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

4- निदेशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

5- निदेशक,समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

6- कोषाधिकारी कैसरबाग / जवाहर भवन,लखनऊ।

7- वित्त(व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-4/वित्त संसाधन (वित्त आयोग एवं केन्द्रीय सहायता) अनुभाग,उ0प्र0 शासन।

8- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग,उ0प्र0 शासन।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

जया सिंह
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in